

झारखण्ड गजट (असाधारण) के  
आगामी अंक में प्रकाशनार्थ  
जिला गजट के आगामी अंक  
में पुनः प्रकाशनार्थ



## राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड 'निर्वाचन भवन'

न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, राँची - 834001

Website : secjharkhand.nic.in  
jsec-jhr@nic.in

दूरभाष: 0651-2284012 / 9264474491

फैक्स: 0651-2280287

पत्रांक:-03नि0न0/व्यय नि0-81/2022 रा0नि0आ0...2622

राँची, दिनांक.....22/11/22

### आदेश

यतः राज्य निर्वाचन आयोग को समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से नगरपालिका निर्वाचन, 2018 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 577, 578 एवं 590 सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदयधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने/विधि द्वारा अपेक्षित रीति से लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;


और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायोचित कारण नहीं है ;

अतः अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, 77 एवं 78 सहपठित झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 577, 578 एवं 590 के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को स्थानीय नगर निकाय/पंचायत निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

क्र० सं०	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	साहेबगंज	X साहेबगंज/08 राजमहल नगर पंचायत	राकेश हलदार, स्वतंत्र, पिता-स्व० हरेन हलदार, मो०-हाटपाड़ा, वार्ड नं०-07, पो०-राजमहल, था०-राजमहल, जिला-साहेबगंज	यथा विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

2	साहेबगंज	X साहेबगंज/08 राजमहल नगर पंचायत-वार्ड 01	चन्दा देवी, पति-संजय कुमार घोष, वार्ड नं0 01, महाजनटोली, साहेबगंज	यथा विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
3	साहेबगंज	X साहेबगंज/08 राजमहल नगर पंचायत-वार्ड 03	मितु राय, पिता-श्याम राय, वार्ड नं0 03, कासिम बाजार, राजमहल, साहेबगंज	यथा विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
4	साहेबगंज	X साहेबगंज/08 राजमहल नगर पंचायत-वार्ड 08	जनारा बीबी, पति-नसीम शेख, वार्ड नं0 08, नयाबाजार, राजमहल, साहेबगंज	यथा विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
5	साहेबगंज	X साहेबगंज/08 राजमहल नगर पंचायत-वार्ड 08	मीना देवी, पति-भुनेश्वर प्रसाद यादव, वार्ड नं0 08, नयाबाजार, राजमहल, साहेबगंज	यथा विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
6	साहेबगंज	X साहेबगंज/08 राजमहल नगर पंचायत-वार्ड 09	किशुन कुमार पोद्दार, पिता-स्वपन कुमार पोद्दार, वार्ड नं0 09, नयाबाजार, राजमहल, साहेबगंज	यथा विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
7	साहेबगंज	X साहेबगंज/08 राजमहल नगर पंचायत-वार्ड 11	दिनेश हजारी, पिता-धीसु हजारी, वार्ड नं0 11, मटियाल, राजमहल, साहेबगंज	यथा विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
8	साहेबगंज	X साहेबगंज/08 राजमहल नगर पंचायत-वार्ड 11	विकाश कुमार हजारी, पिता-कामेश्वर हजारी, वार्ड नं0 11, नयाबाजार, राजमहल, साहेबगंज	यथा विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
9	साहेबगंज	X साहेबगंज/08 राजमहल नगर पंचायत-वार्ड 11	सागर राय, पिता-गंगाधर राय, वार्ड नं0 11, मटियाल, राजमहल, साहेबगंज	यथा विहित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,




उप निर्वाचन आयुक्त-सह-संयुक्त सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग,

राँची, दिनांक... 22/11/22

ज्ञापांक:-03नि0न0/व्यय नि0-81/2022 रा0नि0आ0...2622

- प्रतिलिपि:- 1. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि आयोग के उक्त आदेश को झारखण्ड गजट के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय।
2. नोडल पदाधिकारी, ई0पी0एस0, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
रजिस्टर्ड ए.डी.
3. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-उपायुक्त, साहेबगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि:-
- (i) राज्य निर्वाचन आयोग का यह आदेश जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करा दी जाए। आयोग के इस आदेश को अन्तर्विष्ट करने वाले गजट की एक प्रतिलिपि जैसे ही प्रकाशित हो, आयोग को भेज दी जाए।
- (ii) आदेश की एक प्रति सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाए।
- (iii) संबंधित अभ्यर्थी को भी आयोग के इस आदेश का तामिला करा दिया जाए।
4. संबंधित अभ्यर्थी।



उप निर्वाचन आयुक्त-सह-संयुक्त सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग